

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>1/6/22 गोपाल राम, पिता-दिपु राम, ग्राम-कुम्हारटोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-कटकमदाग, ग्राम-नवादा, थाना नं०-118, खाता संख्या-174, प्लॉट संख्या-890, रकवा-06 डी० भूमि डोली देवी, पति-बसंत राम, ग्राम-नवादा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 235/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, कटकमदाग से की गई।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>केता डोली देवी एवं विक्रेता गोपाल राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 4 एकड़ 67.99 डी० भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है सर्वे खतियान में चान्दो कहार के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ठ सं० 35/XV पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता गोपाल राम का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2019/02323 दिनांक 16.01.2020 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2019/89548 दिनांक 26.06.2020 और केता डोली देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/342256 दिनांक-19.01.2021 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2020/258846 दिनांक-19.12.2020 के आधार पर</p>	

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश
कार्यवाही
टिप्पणी


1

2

तथा अंचल अधिकारी, कटकमदाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, ग्राम-नवादा, थाना नं0-118, खाता संख्या-174, प्लॉट संख्या-890, रकवा-06 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहसी, हजारीबाग।


अपर समाहसी, हजारीबाग।